



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज खान
Kadar Nawaz Khan
कार्यकारी कुलसचिव
Acting Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
मोबाइल / Mobile : +91-9422905760

क्रमांक : 34/2021-22/Quarter Allotment/29-7/454
दिनांक : 18.09.2026

सूचना

- विश्वविद्यालय के समस्त रहवासियों को सूचित किया जाता है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-18011/2/2015-Pol.III दिनांक 17.07.2026 के आलोक में आवासों का लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

आवासों का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	संशोधित लाइसेंस शुल्क (01.07.2026 से प्रभावी)
Type-I	Upto 30	230.00
Type-II	26.5 to 50	490.00
Type-III (C Quarters, T2 & T3)	44 to 65	740.00
Type-IV (D Quarters)	59 to 91.5	980.00
Type-IV (Special) (Transit & T4)	59 to 91.5	1040.00
Type-VA	Upto 106	1850.00
Type-VB (T5 Qtrs)	Beyond 106	1960.00
Type-VIA (T6 Qtrs)	Upto 159.5	2430.00
Type-VIB	Beyond 159.5	2900.00
Type-VII	189.5 to 224.5	3400.00
Type - VIII	243 to 522	6070.00

- MSEDC/MSEB द्वारा दिनांक 01.04.2026 से घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली की दर में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:-

वर्ग/प्रकार	LT-1 Res 1 Phase	दिनांक 01.04.2026 से MSEDC द्वारा संशोधित दरें
Fixed Charges		₹ 130.00
ऊर्जा शुल्क (Energy Charges)	1-100 यूनिट	₹ 3.96 (प्रति यूनिट)
	101-300 यूनिट	₹ 10.80 (प्रति यूनिट)
	301-500 यूनिट	₹ 15.03 (प्रति यूनिट)
	Above 500 यूनिट	₹ 17.53 (प्रति यूनिट)
वहन आकार (Wheeling Charges)		₹ 1.60 प्रति यूनिट
इ.स.आ.	1-100 यूनिट	₹ 0.20 (प्रति यूनिट)
	101-300 यूनिट	₹ 0.35 (प्रति यूनिट)
	301-500 यूनिट	₹ 0.50 (प्रति यूनिट)
	Above 500 यूनिट	₹ 0.55 (प्रति यूनिट)
विद्युत शुल्क (Electricity Duty)		16% of F.C. + E.C. + W.C. + इ.स.आ.

आवासों के लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरें दिनांक 01.07.2026 से तथा MSEDC/MSEB द्वारा वृद्धि की गई उपरोक्त बिजली की दरों को दिनांक 01.04.2026 से लागू किया जाता है। इसके कारण पूर्व के बिलों के अंतर को आगामी 03 महीनों में क्रमशः समायोजित किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

कादर नवाज
(कादर नवाज खान)
16/9/26

प्रतिलिपि :

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव कार्यालय
- वित्ताधिकारी कार्यालय
- प्रभारी, लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
- संबंधित फाइल